THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) to (d). The number of persons of Indian origin is estimated at 2,23,000 but no region-wise break-up is available. The Embassy of India is rendering assistance to all Indian nationals who have been affected by the nationalisation measures introduced by the Burmese Government, but such assistance is not being rendered on the basis of any regional classification.

Special repatriation facilities are arranged by the Government of India. Subsidised rates are also being given for air travel. Ministry of Rehabilitation have certain schemes through which they give assistance to the repatriates from Burma. The Government of India is bearing the entire expenditure on the relief and repatriation of persons of Indian origin from Burma.

Alleged Corruption and Malpractices of Officers of M.E.S. Garrison Engineer (Factory Works) Kanpur

3883. SHRI JAGADISH BHATTACHARYYA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaints or representations about the alleged corruption and malpractices of the officers of MES, Garrison Engineer (Factory Works), Kanpur ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) the action taken by Government against the guilty officials ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) to (c). Two letters have been received by Government in April 1971 signed by one J. N. Misra without any definite address, in respect of alleged malpractices pertaining to discrepancies in store-keeping, theft of stores, execution of unauthorised works, etc. The allegations are under inquiry. The question of taking action against the persons responsible for the malpractices will be considered after the completion of the enquiry.

कोका कोला का प्रभाव

3884. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :**
श्री मूल चन्द डागा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री 3 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7794 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य पदार्थ मिलावट अधिनियम, 1954 तथा किसी अन्य सम्बद्ध अधिनियम में संशोधन करके कोका कोला निर्माताओं से कोका कोला की प्रत्येक बोतल पर ये शब्द लिखने के लिए कहने कि "इसमें फोसफोरिक एसिड की मात्रा है" का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो किस तिथि से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि कोका कोला से दांत, पेट और दिल को बहुत हानि होती है जिसके कारण यूरोप के अधिकतर देशों ने कोका कोला की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार कोका कोला का प्रयोगशाला में परीक्षण करायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । लेबल पर यह लिखना आवश्यक नहीं है कि "इसमें फास्फोरिक एसिड" है क्योंकि खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली 1955 के परिशिष्ट 'ख' के मद क.० 1.०1 के अन्तर्गत जैसा दर्शाया गया है कार्बोनेटेड पानी का यह अनुज्ञा प्राप्त घटक है । और कोका कोला इसी वर्गीकरण के अन्तर्गत आता है ।

(ग) राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में चूहों पर किये गये परीक्षण के आधार पर यह संस्थान इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि कोका कोला का मानव पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है किन्तु हो सकता है कि पेप्टिक अल्सर और जठरान्त्रशोथ के रोगियों के लिए इसका उपयोग हानिकर सिद्ध हो । यूरोपीय देशों में कोका कोला के उपयोग पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध